न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौकरिया, RAS

अपील संख्या 103/2015

1 श्रीराम जोशी आयु 56 वर्ष पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल 506 प्रतीक कूंज जी.एच.11, सेक्टर 21 सी. फरीदाबाद (हरियाणा)।

अपीलांट

बनाम

1 मुरारीलाल पुत्र रामदत्त जोशी मृतक।
1/1 राजेश कुमार पुत्र मुरारीलाल जोशी।
2 नटवरलाल पुत्र रामदत्त जोशी।
3 सावित्री पुत्री रामदत्त जोशी।
4 गायत्री पुत्री रामदत्त जोशी।
5 नरोतम पुत्र विश्वनाथ जोशी।
6 राजेन्द्र पुत्र विश्वनाथ जोशी।
7 योगेश पुत्र विश्वनाथ जोशी।
8 निर्मला पुत्री विश्वनाथ जोशी।
9 शीला देवी पुत्री विश्वनाथ जोशी।
10 शशी देवी पुत्री विश्वनाथ जोशी।
11 बृजभूषण पुत्र बनवारीलाल जोशी।
12 शशिभूषण पुत्र बनवारीलाल जोशी।
13 विमला देवी पुत्री बनवारीलाल जोशी।
14 चन्द्रशेखर (मृतक)।
14/1 जुगल पुत्र चन्द्रशेखर।
14/2 कमल पुत्र चन्द्रशेखर।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 नन्दकिशोर पुत्र मुरलीधर।
16 श्रकृष्ण पुत्र मुरलीधर।
17 उपेन्द्र पुत्र श्यामसुन्दर।
18 सम्पत पुत्र मुरलीधर।
19 रामनिरंजन पुत्र मुरलीधर।
20 चकपानी पुत्र मुरलीधर।
21 विनोद पुत्र मुरलीधर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण नवलगढ़ रोड़ कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
22 श्री भगवान पुत्र महावीर प्रसाद जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल भरतिया कॉलोनी रोड़ साहिबगंज झारखण्ड।
23 पटवारी हल्का लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
24 तहसीलदार उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
25 जिला कलेक्टर महोदय सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 10.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ शीर्षक श्रीराम जोशी बनाम मुरारीलाल आदि प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 25/2014 पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 18.10.23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 25/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151जा0दी0 का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि लक्ष्मणगढ़ की तन भूमि खसरा नम्बर 660 एवं 661 अवस्थित है, जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 22 के पूर्वज नागाजी उर्फ नाग जोशी के कब्जे, खुदकाश्त व खातेदारी अधिकार की रही है। उक्त नाग जोशी के दो पुत्र मन्नालाल व श्योनन्दराय हुये। श्योनन्दराय के उत्तराधिकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के समय ही अपना हक हिस्सा छोड़कर अन्यत्र चले गये तथा दशको से इनके उत्तराधिकारियो से कोई सम्पर्क नही है। इस प्रकार प्रश्नगत आराजीयात मूल खातेदार काश्तकार के पुत्र मन्नालाल के एकाकी कब्जे, काश्त में तथा इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारीगण रामदत्त व सीताराम के समभाग कब्जे, काश्त में रही। वादी व प्रतिवादी संख्या 22 प्रश्नगत आराजीयात के 1/2 भाग के खातेदार सीताराम के उत्तराधिकारीगण है। सीताराम के एक मात्र उत्तराधिकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 22 के पिता महावीर प्रसाद जोशी हुए। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 प्रश्नगत आराजीयात के 1/2 भाग के हिस्सेदार रामदत्त जोशी के उत्तराधिकारीगण बताये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने के पश्चात राजस्व कर्मीयो द्वारा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी गलत रूप से एकांकी रातदत्त जोशी के नाम अंकित कर दी गई। उक्त गलत व प्रदर्शनी खातेदारी के आधार पर हाल ही में नामान्तकरण संख्या 3960 दिनांकित 20.06.2013 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 21 के नाम अंकित हो गई। उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी व विरासत के आधार पर स्वीकृत उक्त नामान्तकरण प्रार्थी के विधिक अधिकारो की अपेक्षा अवैध, शून्य व प्रभावहीन है। प्रार्थी प्रश्नगत आराजीयात के 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी वर्तमान खातेदारी को निरस्त करवाकर उक्त आशय की उद्घोषणा करवाने का वैध अधिकारी है। उक्त प्रकार के कथन करते हुये अपीलार्थी/ प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सहायता चाही गई कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे प्रश्नगत उक्त आराजीयात को किसी भी रूप में खुर्द बुर्द नही करें, न ही प्रार्थी के संयुक्त कब्जे, उपयोग उपभोग मे दखलांदाजी करे तथा दौराने दावा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजिबद्वा किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, लेकिन कोई जवाबदावा पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 21 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 22 की तामिल के लिये आगामी दिनांक 12.05.2015 नियत की गई और दिनांक 12.05.2015 को उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 22 की तामिल के लिए ही आगामी दिनांक 14.07.2015 नियत की गई। आदेशिका के अनुसार उक्त प्रतिवादी संख्या 22 के नाम दिनांक 14.05.2015 को रजिस्टर्ड डाक से तामिल भेजी गइ। इस प्रकार प्रकरण में दिनांक 14.07.2015 वास्ते तामिल प्रतिवादी संख्या 22 हेतू नियत थी। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया की पालना किये नियत तिथि से पूर्व विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तामील में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तामील पूर्ण किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष की बहस सुने बिना, नियत तिथि से पूर्व पत्रावली को लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल में निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत वाद निर्णित हो चुका है। गुणावगुण पर वादी का कोई हक अधिकार नही बनता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तामील में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तामील पूर्ण किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त किये बिना, उभयपक्ष की बहस सुने बिना, नियत तिथि से पूर्व पत्रावली को लोक अदालत में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में पक्षकारों को लोक अदालत में पत्रावली रखने का नोटिस दिये जाने का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल में निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना नही की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/10/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर